भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 922

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 दिसंबर, 2017 को दिया जाना है

**उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति**

 **922. श्री विवेक के॰ तन्खा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौ उच्च न्यायालयों में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे न्यायपालिका और सरकार के बीच कायम गतिरोध् तथा अंतर- कालेजियम मतभेदों के बीच पैदा हुई अभूतपूर्व स्थिति कहा जा सकता है ;

(ग) सरकार इस स्थिति का समाधान करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का विचार रखती है ; और

(घ) क्या यह सच है कि गत तीन माह में उच्चतम न्यायालय में, जहां आज की तारीख के अनुसार छह रिक्तियां हैं, किसी नियुक्ति पर विचार करने के लिए एक भी बैठक नहीं हुई है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्‍याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) :** जी हां,। तारीख 19.12.2017 को उच्च न्यायालयों में 9 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति हैं ।

**(ख) से (घ) :** उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना न्यायपालिका और कार्यपालिका की सतत और सहयोगकारी प्रक्रिया है । वर्तमान प्रक्रिया-ज्ञापन के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति की प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के कॉलिजियम के परामर्श से प्रत्याशित रिक्ति की तारीख से कम-से-कम एक माह पूर्व पूर्ण होना सुनिश्चित करने के लिए ठीक समय पर अवश्य प्रारम्भ कर देनी चाहिए । उच्चतम न्यायाधीशों की नियुक्तियों का प्रस्ताव भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय के चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशों के कॉलिजियम के परामर्श से प्रारम्भ किया जाता है । भारत सरकार को उच्चतम न्यायालय में 6 न्यायाधीशों की रिक्तियों को भरने के लिए और 9 उच्च न्यायालयों, जो कि कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्तियों के साथ कार्यरत हैं, में मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्तियों के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

 उच्चतम न्यायालय ने तारीख 16.12.2015 को वर्तमान प्रक्रिया-ज्ञापन (एमओपी) की अनुपूर्ति द्वारा नियुक्तियों की कॉलिजियम प्रणाली का सुधार करने के लिए एक आदेश पारित किया था । चूंकि प्रक्रिया में कुछ समय लगने वाला था इसलिए सरकार की प्रेरणा पर मामला उच्चतम न्यायालय के पास ले जाया गया और नियुक्ति प्रक्रिया विद्यमान प्रक्रिया-ज्ञापन के साथ जारी रही । वर्ष 2016 के दौरान उच्चतम न्यायालय के चार न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के चौदह मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किए गए । इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालयों में 126 नये न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गई जो किसी कैलेण्डर वर्ष में उच्चतम संख्या है । वर्ष 2017 के दौरान 19.12.2017 तक उच्चतम न्यायालय में 5 न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों में 8 मुख्य न्यायमूर्ति और उच्च न्यायालयों में 115 न्यायाधीश की नई नियुक्तियां की जा चुकी हैं ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*